शिवदत्त बनाम रतिराम

27-5-22	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट्स व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 10–05–2022 को जरिये पक्षकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसरण में अपीलांट्स की हद तक अपील स्वीकार करने का कथन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी सहमति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 रतिराम पुत्र बीरबलराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत प्रस्तुत करते हुए अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1134/578 रकबा 2.81 हेक्टर वाके रोही जससिंहदेसर मगरा में आवागमन हेतु अपीलांट् शिवदत पुत्र लेखराम के खेत खसरा नम्बर 872/546, अपीलांट रामकिशन पुत्र बीरबल के खेत खसरा नम्बर 546 व रेस्पोडेन्ट् संख्या 2/अप्रार्थी शिवनारायण पुत्र लेखराम के खेत खसरा नम्बर 1117/553 में से आवागमन की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स शिवदत, रामकिशन व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवनारायण की आराजी में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा नजरी नक्शें का अवलोकन किया। उक्त नजरी नक्शें के अवलोकन के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी शिवदत को उसकी आराजी 1134/578 में आवागमन हेतु सर्वप्रथम शिवनारायण पुत्र लेखराम के खेत खसरा नम्बर 1117/553 में से 352 मीटर लम्बर व 8 मीटर चौड़ा इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2816 वर्गमीटर का रास्ता कायम किया गया है। जबकि अन्य अप्रार्थी/अपीलांट्स रामकिशन पुत्र बीरबल के खेत खसरा नम्बर 546 में 12 मीटर लम्बा व 8 मीटर चौड़ इस प्रकार कुल 96 वर्गमीटर व शिवदत पुत्र रेड़ाराम के खेत खसरा नम्बर 872/546 में से 188 मीटर लम्बा व 8 मीटर चौड़ इस प्रकार कुल 1504 वर्गमीटर इस प्रकार 3016 वर्गमीटर रास्ता कायम किया गया है। उक्त कायम किये गये रास्ते में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवनारायण पुत्र लेखराम के खेत में से सबसे ज्यादा 2816 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु अधिग्रहण की गई है व प्रस्तुत अपील में शिवनारायण	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पुत्र लेखराम द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहमति स्वरूप न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी रतिराम पुत्र बीरबलराम जिसके अपने खेत खसरा नम्बर 1134/578 में से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया गया है, व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवनारायण जिसकी आराजी में से रास्ते हेतु अधिकतम भूमि का अधिग्रहण किया गया है व तो रास्ता शिवनारायण की आराजी में से दिया गया है, उक्त रास्ता खेत की सींव–सींव नहीं दिया जाकर मध्य में से कायम किया गया है, के हितों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। चूंकि अपीलांट्स द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए अपीलांट्स की हद तक अपील को स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है, तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी रतिराम पुत्र बीरबलराम द्वारा अपनी सहमति इस आधार पर प्रदान की गई है कि अपीलांट्स/अप्रार्थीगण द्वारा अन्य रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को कायम रखने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–04–2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट्स/अप्रार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सहमति प्रार्थना पत्र के अनुसरण में, अन्य रास्ता उपलब्ध करवाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए व रेस्पोडेन्ट संख्या 2/अप्रार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

27/5/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर